

न्यूज ब्रीफ

नाटिका के सहारे याद
किये गए सर सेव्यद

सीतापुर, अमृत विचार : रीजेन्सी पाइपलेन्स रॉड में सर सेव्यद सदन के तत्वावधान में ग्रीन हाईस कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के अध्यक्ष एमएफ जैदी, निदेशक एआर जैदी एवं प्रग्नाना रथ शिवाद जैदी का वाहन सर सेव्यद सत्ताधार्यों द्वारा पृष्ठगुच्छ देकर किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। सदन की छात्रा वसुन्धरा सिंह तोमर ने सर सेव्यद के जैवन प्रकाश डाला। लघु नाटिका की प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का संचालन अथवै शर्मा पूर्ण एवं प्रणीती श्रीवाच्चत ने किया, यात्रा सिंह ने सभी को आभार दिया।

छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ युवक

नैमित्यरात्रि, अमृत विचार : विडिंग की सफाई करते समय युवक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे भूमि कराया गया। नैमित्यरात्रि को लोकतान्त्रिक शिविर ठाकुर नगर तिरहे पर लांडब्रेरी है। यहाँ पर साक-सफाई का कार्य चल रहा था। आलोक खुली लाइब्रेरी की सफाई करते समय अवाकाश अनिवारित होकर नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने के लिए युवक की जाल गंभीर है। घायल आलोक का उपचार चल रहा है। कालतावानी प्रभारी नैमित्यरात्रि घंटा के बीच पहले निकलने की प्रतिभाग किया। भाजपा जिला उपायोग्यक राजेश्वर

शिवाला में किया जाएगा
रथयात्रा का स्वागत

संवाददाता, लहरपुर, सीतापुर

● मां पुरुषिन देवी मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने बैठक

अमृत विचार : नगर के मोहल्ला बेटी स्थित मां पुरुषिन देवी मंदिर में गायत्री परिवार के सदस्यों ने बैठक की। इसमें शर्मिं ऊंचुं कुंज हारिपुर से आ रही ज्योति कलश, रथयात्रा के भव्य स्वागत की तैयारियों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि गायत्री ज्योति कलश रथ यात्रा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम अकरपुर, कामापुर, ग्राम कल्याणपुर, ग्राम शेरुरुर जीतमऊ, ग्राम देवरिया कलां ढफरा व ग्राम मुम्पुर में गायत्री शक्तिपीठ में स्वागत एवं दोप जूँ तोपरांत रात्रि विशाप के उपरांत रथ यात्रा रवाना होगी।

गायत्री परिवार की बैठक में प्रमुख रूप से राजेश्वर रस्तोगी, शक्तितला रस्तोगी, रामा देवी, अनुराधा गौड़, ऊंचा मेहरोत्रा सहित गायत्री परिवार की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। भाजपा जिला उपायोग्यक राजेश्वर

यातायात माह

● बिना हेलमेट बाइकों में पेट्रोल भरवाते रहे लोग

कार्यालय संवाददाता, सीतापुर

अमृत विचार : यातायात माह के पहले दिन आंच अस्पताल चौराहे पर डॉएम-एस्पी आमजन को नियमों का विवर पढ़ा रहे थे। वहाँ, दूसरी ओर अधीनस्थ मुख्य चौराहे पर बस स्टैप चौराहे पर उपरांत रथ यात्रा रात्रि विशाप के उपरांत रथ यात्रा रवाना होगी।

गायत्री परिवार की बैठक में प्रमुख रूप से राजेश्वर रस्तोगी, शक्तितला रस्तोगी, रामा देवी, अनुराधा गौड़, ऊंचा मेहरोत्रा सहित गायत्री परिवार की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। भाजपा जिला उपायोग्यक राजेश्वर



बस स्टैप चौराहे पर आडे-तिरछे खड़े वाहन और मोबाइल पर व्यस्त उपनिरीक्षक।



डीएम-एस्पी ने उपस्थिति में वाहन सवार को निःशुल्क हेलमेट देकर जागरूक करते एसपी

डीएम-एस्पी ने दिया जागरूकता का संदेश

यातायात माह का शुभारम्भ जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने किया। डीएम ने जागरूकता वाहन को हरी झण्डी दिखाने से पहले आमजन को नियमों की जानकारी दी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने वाहन चलने वालों को सीट बैट और हेम्प्टे पहने की सलाह दी। इस दौरान बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट देखा गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भासले, एसपी आलोक सिंह, महिला थाना प्रभारी इतुल घोरी, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद आदि शेर्षे।

कहीं मेडूबंदी तो कहीं नापजोख का पेच

संपूर्ण समाधान दिवस : डीएम और एसपी ने महोली तहसील में सुनीं समस्याएं

अमृत विचार टीम, सीतापुर



महोली तहसील में समस्याओं का निस्तारण करते डीएम डॉ. राजा गणपति आर., एसपी अंकुर अग्रवाल व अन्य। ● अमृत विचार

अमृत विचार : जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोली तहसील में सम्मिलित हुए। इहोंने कई शिकायतों का मार्के पर निस्तारण किया। छोटी-छोटी शिकायतों के लंबे समय तक बितते होने को लेकर जालाधिकारी ने कई जिम्मेदारों को आडे-हाथों लिया।

महमूदाबाद तहसील परिसर में लूधारा गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुषे, शिकायतकर्ता वोरेश कुमार भी थे। इनका दावा था कि वरासत के रिकांडों में हेरेफेर किया गया।

महमूदाबाद तहसील परिसर में लूधारा गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुषे, शिकायतकर्ता वोरेश कुमार भी थे। इनका दावा था कि वरासत के रिकांडों में हेरेफेर किया गया।

शिकायतों के बाद भी समस्या जस की तस है आरोप है कि ग्रामीण परिवार ने धरें को अनुमति दियी, जिसको देने से इंकार कर दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीण दिवस पर आदेश परित हुआ। तहसील दिवस के बाद कुछ देर तक जाम लाग रहा।

शिथोनी को लालतावानी क्षेत्र में हुए हादसे में घार लोग घायल हुए हैं।

लहरपुर में फरियादी बोले- बालों-न्यायालय के आदेशों का भी

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

लहरपुर में फरियादी बोले- बालों-न्यायालय के आदेशों का भी

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए पुरुष जमाने के बाद यात्रा विशेषज्ञ शिकायतों भी गई।

महोली में डीएम ने दिए प

अमृत विचार

हलौम WORLD

देश की तमाम शिष्यताओं को लेकर मिमिक्री होना आम बात है। यह बरसों-बरस से हो रही है, बल्कि तमाम हस्तियां इसे उच्चाय भी करती हैं। जैसे शाहरुख खान की हकलाने वाली मिमिक्री पर वह बुबा नहीं मानते या फिर नाना मिमिक्री पर की खट्टी भरी गुस्से वाली मिमिक्री पर वह खूब हँसते हैं, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। डीपफेक से अब उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हूबू उनकी ही शब्द बनाकर ऊल-जलूल हरकतें या बातें कहलाई जा रही हैं। उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल फर्जी विज्ञप्तों में किया जा रहा है। इसकी वजह से यह सभी हस्तियां चिंता में हैं। कई मशहूर सेलिब्रिटी-अमिताभ बच्चन, जैकी शॉफ, संजय दत्त, अनिल कपूर, आशा भोसले आदि पर्सनाल्टी राइट्स को लेकर अदालत पहुंचे हैं।



भारतीय न्यायालयों में यह विवाद

अब यही विवाद भारतीय न्यायालयों तक पहुंच गया है। कानूनी दृष्टि से भारतीय अदालतें अब तक इन मामलों में अनुच्छेद 21 यानी जीवन और निजति के अधिकार का सहारा लेती रही हैं। परंतु यहां एक गहरी दुविधा है। क्या यह अधिकार “निजता” का है या “संपत्ति” का? अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने इसे संपत्ति के अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। वहां मर्लिन मनरो और एलवीश प्रेसले जैसे कलाकारों की मृत्यु के बाद भी उनकी पहचान जुड़ अधिकार उनके परिवार या द्रस्ट को मिलते हैं, जबकि भारत ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उदाहरण के तौर पर, मुशात राजगृह के पिता ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म की कौशिश की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते याचिका खरिज कर दी कि “व्यक्तिगत पहचान मृत्यु स्वतः परिवार को द्रासफर नहीं होती।” यानी भारत में अधिकार अपनी भवित्व योग्य नहीं है। हर बार जब डीपफेक या बिना अनुमति विज्ञापन समाप्त आता तो अदालतों को “John Doe Orders” जारी करने पड़ते हैं। ऐसे अदेश, जो “अज्ञात व्यक्तियों” के खिलाफ होते हैं, लेकिन यह समाधान अस्थायी है। यह केवल तक्ताल राहत देता है, न कि स्थायी कानूनी सुरक्षा। कई बार ये अदेश इतने व्यापक होते हैं कि वैध आलोचना, व्यांग और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाने लगता है। परिणामस्वरूप, यह अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल देता है।

■ सच्चाई यह है कि भारत में अब तक एआई और डीपफेक के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना है। अदालतें केस-दर-केस फैसले दे सकती हैं, पर संपूर्ण नीति नहीं बना सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद इस विषय पर एक स्पष्ट और संतुलित Personality Rights Law बनाए, जो व्यक्ति की पहचान की रक्षा करे, लेकिन साथ ही कला, व्यांग, पत्रकारिता और जनहित की स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखे।

